न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—236/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/236)

1. अकरम पुत्र मौहम्मद रफीक, जाति मुसलमान, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. शाहनूर पुत्र लाल मोहम्मद (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 नूरी बानो पुत्री शाहनूर
   1/2 आमना बानो पुत्री शाहनूर
   1/3 जहूर मौहम्मद पुत्र शाहनूर
   1/4 नैमूना बानो पुत्री शाहनूर
   1/5 संजीदा बानो पुत्री शाहनूर
2. मेहमूदा पत्नी निसार खां
3. मास्टर मजीद पुत्र अल्लाबक्स
   समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण बडी मस्जिद के पास, रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

5. कल्लो पत्नि स्व0 अब्दुल वहीद
6. रबिया बेगम पुत्री स्व0 अब्दुल वहीद
7. शहजादी पुत्री स्व0 अब्दुल वहीद
8. निजाम पुत्र स्व0 अब्दुल वहीद (ना0औ0फौत)
9. मेहराज पुत्र स्व0 अब्दुल वहीद
10. हमीद पुत्र स्व0 अब्दुल वहीद
11. ताजूदीन पुत्र स्व0 अब्दुल वहीद
12. सोनिया पुत्री स्व0 अब्दुल वहीद
13. शाहजहां पत्नी रफीक
14. असलम पुत्र रफीक
15. मुकरम पुत्र रफीक
16. मुजफर पुत्र रफीक
17. शफीफ पुत्र रफीक
18. सद्दीक पुत्र रफीक
19. फिरोज पुत्र रफीक
20. शायदा पुत्री रफीक
21. शबाना पुत्री रफीक
22. सीमा उर्फ शमा पुत्री रफीक
    जाति मुसलमान, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 09.04.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 124/2012

उपस्थितः—

1. श्री प्रदीप यादव व नवीन गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व 2 अनुपस्थित
5. रेस्पोडेंट संख्या 5 से 22 तलबी बंद

निर्णय

दिनांकः—14.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2012 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रफीक पुत्र गनी एवं वहीद पुत्र रमजू द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण/असल रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.03.2021 को वादी संख्या 2 के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा आदेश दिनांक 09.04.2021 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को अबेट करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2012 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 व 2 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष पैरवी करने हेतु अपना अभिभाषक नियुक्त किया था जिन्होंने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि उन्हें हर तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है एवं वे प्रकरण में होने वाली बहस एवं निर्णय से प्रार्थी को सूचित कर देंगें किन्तु वाद अबेट होने के बावजूद भी उनके द्वारा इसकी सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई। जब दिनांक 30.6.2023 को प्रार्थी ने वकील साहब से केस की प्रगति के बाबत् बात की तो प्रार्थी को उनके वकील साहब द्वारा वाद खारिज होने बाबत् जानकारी दी तब प्रार्थी ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन कराया एवं दिनांक 3.7.2023 को नकल ली तथा फीस आदि का प्रबन्ध कर अविलम्ब अजमेर आकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अपील प्रस्तुत करने हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित में क्षमा किए जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को

माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 9.4.2021 पारित करने में विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 22 नियम 10 (ए) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय को वादीगण की मृत्यु की सूचना देना आवश्यक था किन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसा ना कर सीधे ही वाद को अबेट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस विधिक प्रक्रिया को नजर अन्दाज कर विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कि जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने अपना आक्षेपित आदेश पारित करने में सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों की अवहेलना की गयी है जबकि आदेश 22 नियम 10 (ए) सी.पी.सी. के अनुसार पक्षकारों की

मृत्यु की सूचना न्यायालय को देने का आज्ञापक प्रावधान है। जिसे नजर अन्दाज कर विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अबेट करने के प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर तय कर आक्षेपित आदेश पारित किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अबेट के प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का अंकन है कि हाजा न्यायालय में विचाराधीन अन्य प्रकरण में वादी वहीद की मृत्यु व वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 4.8.2017 को पेश कर दिया था जबकि विधिक दृष्टिकोण से एक प्रकरण में की गयी कार्यवाहीयों के आधार पर अन्य प्रकरण को तय नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों प्रकरण समेकित न किये गये हों। इस महत्वपूर्ण आधार पर भी अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। राजस्य मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेकों न्यायिक निर्णयों में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मृतक व्यक्ति के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत् कार्यवाही में न्यायालय को नरम रूख अपनाना चाहिए तत्पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। इन विधिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 9.4.2021 में न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्वयं यह माना गया है कि न्यायालय आदेशिका में वादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु होने की सूचना कहीं अंकित नहीं है, उसके पश्चात् भी विचारण न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष जब वादी के पुत्र की जानकारी में आया तो उन्होंने अविलम्ब ही न्यायालय में वारिसानों को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत् प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया उसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कहना कि प्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2012 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2018(2) पेज 1052, आरएलडब्ल्यू 2018(2) पेज 1380 प्रस्तुत किए हैं।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में वादी संख्या 1 रफीक की मृत्यु दिनांक 02.01.2018 को व वादी संख्या 3 वहीद की मृत्यु दिनांक 16.04.2017 को हो चुकी है तथा अन्य प्रकरण 81/14 रफीक बनाम शाहनूर में वारिसान वहीद की मृत्यु होने से रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2017 को पेश कर दिया है तब से जानकारी होने के बावजूद आज तक वारिस रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मृत व्यक्ति की हद तक वाद अबैट करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद अबैट होने से खारिज किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रकरण में न्यायसंगत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए

जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष वादीगण/रफीक पुत्र गनी एवं वहीद पुत्र रमजू द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण/असल रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तदुपरांत रेस्पोडेंट्स वाद में उपस्थित हुए। तत्पश्चात रेस्पोडेंट्स द्वारा दिनांक 09.03.2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी संख्या 1 रफीक की मृत्यु दिनांक 02.01.2018 एवं वादी संख्या 2 वहीद की मृत्यु दिनांक 16.04. 2017 को हो चुकी है, वादीगण के विधिक प्रतिनिधिगण को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए वाद को अबेट किया जावे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर मनन करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.04.2021 को स्वीकार कर वाद को अबेट करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्पूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 22 नियम 10ए सीपीसी के तहत न्यायालय को वादीगण की मृत्यु की सूचना देना आवश्यक था किंतु प्रतिवादीगण ने ऐसा नहीं कर सीधे ही वाद को अबेट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरण के आधार पर उक्त प्रकरण में की गई कायम मुकाम कार्यवाही के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जबकि विधिनुसार दोनों प्रकरणों को समेकित नहीं किया गया था। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अबेट के प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का अंकन है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अन्य प्रकरण में वादी वहीद की मृत्यु व वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2017 को पेश कर दिया था जबकि विधिक दृष्टिकोण से एक प्रकरण में की गई कार्यवाहीयों के आधार पर अन्य प्रकरण को तय नहीं किया जा सकता, क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों को समेकित नहीं किया गया था।

राजस्व मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेकों न्यायिक निर्णयों में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मृतक व्यक्ति के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत कार्यवाही में न्यायालय को नरम रूख अपनाना चाहिए तत्पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा इन समस्त न्यायिक निर्णयों को दरकिनार किया गया जिसके अनुसार किसी भी प्रकरण को तकनीकि आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किए बिना ही प्रकरण को तकनीकि आधार पर निरस्त किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 में न्यायालय द्वारा स्वयं यह माना गया है कि

न्यायालय की आदेशिका में वादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु होने की सूचना कहीं अंकित नहीं है, उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अबैट प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद वादी ने वादी संख्या 1 व 2 के वारिसों को रेकार्ड पर लेने हेतु आवेदन पेश किया था। जिसमें वादी ने स्वयं अंकन किया है कि वादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 02.01.2018 व वादी संख्या 2 की मृत्यु दिनांक 16.04.2017 को हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अन्य प्रकरण संख्या 81/2014 में वादी ने वादी संख्या 2 वहीद के वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2017 को ही पेश कर दिया था। इन तथ्यों से यह नहीं माना जा सकता है कि वादी को इस बाबत जानकारी नहीं रही हो चूंकि एक अन्य वाद में वादी द्वारा वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया था परंतु वादी द्वारा वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.03.2015 को वादी संख्या 2 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण कई पेशियों में नियत रहा। दिनांक 16.11. 2015 को भी वकील वादी द्वारा वादी संख्या 1 का वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय से अवसर चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अनेक अवसर देने के उपरांत भी वादी अभिभाषक द्वारा वादी संख्या 1 का वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह समस्त तथ्य वादी द्वारा वर्तमान प्रकरण में उनकी उदासीनता/लापरवाही को दर्शाता है। न्यायालय में मात्र वाद प्रस्तुत करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वाद के प्रति सजगता/जागरूकता भी महत्वपूर्ण है जो कि वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में नहीं दर्शायी गई है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **आर0एल0डब्ल्यू 2018(2)रेवे0** प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व वर्तमान प्रकरण समान प्रकृति के हैं। जिसके अनुसार *" विचारण न्यायालय ने इस सीमा तक वाद का उपशमन किया–आर0ए0ए0 ने अपील खारिज की– द्वितीय अपील– अभिनिर्धारित– न्यायालयों को तकनीकि आधार पर वाद खारिज नहीं करने चाहिए इसकी बजाय उन्हें गुणावगुण पर विनिश्चित किया जाना चाहिए–पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है–अपीलार्थी अशिक्षित किसान है अतः न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया और मामले को गुणावगुण पर विनिश्चित किया–आदेश अपास्त किया।"*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को तकनीकि बिंदु पर खारिज किए जाने से वादीगण/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं। अतः न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को न्यायहित में निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट **2000/—रूपए कोस्ट** पर आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2012 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2021 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को 2000/— रूपए की राशि अदा करने के पश्चात प्रकरण को पुनः दर्ज किए जाने के उपरांत प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि विचारण न्यायालय के आदेशों की पालना करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.12.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर